प्रेस विज्ञप्ति
08.04.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), पणजी आंचलिक कार्यालय ने गोवा के अरपोरा स्थित "बर्च बाय रोमियो लेन" प्रतिष्ठान के "अवैध संचालन" से संबंधित चल रही जांच के सिलसिले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत लगभग 17.45 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है।

ईडी ने भारतीय न्याय संहिता, 2023 की विभिन्न धाराओं के तहत सौरभ लूथरा और अन्य के खिलाफ अंजुना पुलिस स्टेशन और मापुसा पुलिस स्टेशन में गोवा पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। उक्त एफआईआर न केवल 06.12.2025 की दुखद अग्निकांड से संबंधित हैं, जिसके परिणामस्वरूप 25 लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल हो गए, बल्कि नियामक अनुमोदन प्राप्त करने के उद्देश्य से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) सहित वैधानिक दस्तावेजों की बड़े पैमाने पर जालसाजी और मनगढ़ंत बनाने (फेब्रिकेशन) से संबंधित अपराधों से भी संबंधित हैं।

पीएमएलए के तहत की गई जांच में पता चला है कि यह प्रतिष्ठान मेसर्स बीइंग जीएस हॉस्पिटैलिटी गोवा अर्पोरा एलएलपी द्वारा अनिवार्य वैधानिक अनुमोदन प्राप्त किए बिना संचालित किया जा रहा था, जिसमें आवश्यक अग्नि सुरक्षा एनओसी भी शामिल है। यह भी सामने आया है कि उक्त संस्था के साझेदारों ने लाइसेंस प्राप्त करने और प्रतिष्ठान को कानूनी रूप से अनुपालन करने वाला दिखाने के लिए विभिन्न अधिकारियों को फर्जी स्वास्थ्य एनओसी और फर्जी पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट जैसे जाली और मनगढ़ंत दस्तावेज जमा किए थे।

आगे की जांच से पता चला है कि साझेदारों ने आपस में मिलीभगत करके अनिवार्य लाइसेंसों के अभाव और उनकी वैधता समाप्त होने के बावजूद प्रतिष्ठान का संचालन जानबूझकर जारी रखा। गौरतलब है कि व्यापार लाइसेंस 31.03.2024 को समाप्त हो गया था और उसका नवीनीकरण नहीं किया गया था; फिर भी, प्रतिष्ठान ने वैधानिक आवश्यकताओं का घोर उल्लंघन करते हुए अपना संचालन जारी रखा।

जांच में आगे यह भी पता चला है कि प्रतिष्ठान ने वित्तीय वर्ष 2023-24 से वित्तीय वर्ष 2025-26 (06.12.2025 तक) की अवधि के दौरान अवैध संचालन के माध्यम से लगभग 29.78 करोड़ रुपये का कुल राजस्व अर्जित किया, जिसे पीएमएलए, 2002 की धारा 2(1)(यू) के अर्थ में "अपराध की आय" के रूप में पहचाना गया है।

इससे पहले, जांच के दौरान, 23.01.2026 को संबंधित संस्था से जुड़े कई परिसरों पर तलाशी ली गई, जिसके परिणामस्वरूप आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल उपकरण जब्त किए गए, साथ ही लगभग 59 लाख रुपये के बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।